कार्यकारी परिषद की दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को 11:00 बजे पूर्वाह्न बराद सदन, सिक्किम विश्वविद्यालय, के सभा-कक्ष में आयोजित 23वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो टी.बी.सुब्बा	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. जे पी तामांग	-	सदस्य
3.	प्रो. समीरा मैती	-	सदस्य
4.	प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद	-	सदस्य
5.	प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान	-	सदस्य
6.	डा. नवल किशोर पासवान	-	सदस्य
7.	डा. धनीराज छेत्री	-	सदस्य
8.	डा. सुबीर मुखोपाध्याय	-	सदस्य
9.	श्री पी.के.सिंह	-	विशेष आमंत्रित
10.	श्री टी.के कौल	-	सचिव

प्रो. चेतन सिंह, निदेशक, आई आई ए एस शिमला अपनी पूर्व कार्य-व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात, कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ हुई ।

भाग - 1

कार्यवृत्तएवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.स० 23.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 21 मार्च 2015 को आयोजित 22वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 21 मार्च 2015 को आयोजित कार्यकारी परिषद की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों के बीचदिनांक **27 मार्च 2015** को परिचालित किया गया था । प्रो0 जे.पी तामांग से दिनांक 13 अप्रैल 2015 के ई मेल के माध्यम से मद संख्या ई सी 22.4.6 पर जी टी ए क्षेत्र में सिक्किम विश्वविद्यालय का केंद्र खोले जाने जाने से संबंधित टिप्पणीयां प्राप्त हुइ थी । प्रो0 जे .पी. तामांग की टिप्पिणयों पर प्रो0 इर्शाद गुलाम अहमद, प्रो0 प्रतांप चंद्र प्रधान एवं डा0 धनीराज छेत्री की सहमति उनके बाद के ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी । विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से शब्द कार्यवृत्त से बाहर कर दिया गया, क्योंकि कार्यकारी परिषद के कुछ सदस्यों ने जी टी क्षेत्र में सिक्किम विश्वविद्यालय का केंद्र खोले जाने के विरूद्ध अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था ।

उपरोक्त संसोधन के साथ कार्यकारी परिषद की दिनांक 21 मार्च 2015 को आयोजित 22वीं बैठक एवं दिनांक 27 मार्च 2015 को सदस्यों के बीच यथा परिचालित कार्यवृत्त की तत्पश्चात पुष्टि कर ली गई ।

ई.स० 23.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक **21 मार्च 2015 को आयोजित 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट**

रजिस्ट्रार ने परिषद की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। परिषद ने अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया ।

भाग - 2
रिपोर्टिंग मदें

ई.सं. 23.2.1: भाषाएं एवं साहित्य स्कूल के डीन की नियुक्ति

परिषद ने प्रो0 इर्शाद गुलाम अहमद की भाषाएं एवं साहित्य स्कूल के डीन के रूप में दिनांक 8 जून 2015 को प्रो0 चंद्र प्रधान के स्थान पर नियुक्ति को नोट किया, जिन्हें 62 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के कारण सेवानिवृत्त किया गया है।

परिषद ने प्रो0 इर्शाद गुलाम अहमद की अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष के रूप में निरंतरता को भी नोट किया, क्योंकि अगले वरिष्ठ संकाय सदस्य डा0 जयिता सेनगुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है ।

ई.सं. 23.2.2: सिक्किम के उच्च न्यायालय में मामले

परिषद ने नोट किया कि सिक्किम के उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के विरूद्ध कोई मामला लंबित नहीं है । यद्यपि, अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि श्री राजेंद्र प्रसाद, जिनका विश्वविद्यालय के विरूद्ध मामला उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, ने उच्च न्यायालय में विशेष लीव पिटिशन दायर किया है, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया । यद्यपि उन्होंने सिक्किम के उच्च न्यायालय में रिव्यु पिटिशन दायर किया है । इसकी स्वीकार्यता अथवा अन्यथा के संबंध में कोई आदेश अभी तक पारित नहीं किया गया है ।

ई.सं. 23.2.3: एन ए ए सी प्रत्यायन

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय को एन ए सी द्वारा 2.60 के सी जी पी ए के साथ बी ग्रेड प्रदान किया गया है ।

भाग - 3
संपुष्टि विषय

ई.सं. 23.3.1: चयन समितियों में विशेषज्ञगण

परिषद ने उपकुलपति द्वारा प्रो0 विनोद चंद्र तिवारी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक जी एवं परियोजना निदेशक, वाडिया हिमालियन भूगर्भशास्त्र संस्थान की प्रोफेसर के रूप में संविदा आधार पर उन्हीं सेवाशर्तों के रूप में की गई नियुक्ति की कार्रवाई की संपुष्टि की, जैसा कि दिनांक 30 जून 2016 तक संवीदा पर अन्य प्रोफेसरों के लिए विस्तारित है ।

ई.सं. 23.3.2: शिक्षण कर्मचारियों के सेवा अनुबंधों में विस्तार

परिषद ने उपकुलपति द्वारा निम्नलिखित प्रोफेसरों का वर्तमान सेवा शर्तों पर दिनांक 30 जून 2016 तक की गई नियुक्ति की कार्रवाई की संपुष्टि की :

1. प्रो0 पी.के. शर्मा

2. डा0 मादप प्रसाद थापा
3. प्रो0 विश्वनाथ प्रसाद

परिषद ने उपकुलपति द्वारा डा0 निलाद्री बैग, एसोसिएट प्रोफेसर, बागवानी विभाग के संवीदाजन्य नियुक्ति में दिनांक 1 जुलाई 2015 से एक वर्ष की अवधि के लिए रू0 53,350/- के मासिक पारिश्रमिक पर विस्तारित करने में की गई कार्रवाई की भी संपुष्टि की ।

परिषद ने आगे सुझाव दिया कि संकाय सदस्यों एवं छात्रों से संविदा अवधि की समाप्ति के कम से कम दो माह पूर्व फीड बैक लिया जाए ।

ई.स 23.3.4: समूह क गैर शिक्षण पदों के लिए चयन समिति के प्रति विशेषज्ञों को नामित किया जाना।

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात उपकुलपति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना वैज्ञानिक एवं लोक संपर्क अधिकारी के पदों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार चयन समितियों के प्रति वैसे विशेषज्ञों को नामित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की, जो कि विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है:

1.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) डा0 तमाल कुमार गुहा, पुस्तकालयाध्यक्ष , आई आई टी गुवाहाटी
		(ii) डा0 धर्मवीर सिह, लाइब्रेरियन, दिल्ली विश्वविद्यालय
		(iii) डा0 एफ आर सुमेर, लाइब्रेरियन, नेहू
2.	सूचना वैज्ञानिक	(i) श्री विरेंद्र छेत्री, अपर एस आई ओ, एन आई सी गंगटोक
3.	लोक संपर्क अधिकारी	(i) श्री बिमल राई, मुख्यमंत्री के प्रति पी आर ओ, सिक्किम सरकार

ई.स 23.3.5: संकाय सदस्यों का त्याग-पत्र

(क) डा0 दिलीप कुमार दास का पर्यटन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र

(ख) डा0 सोमेंद्र नाथ विश्वास का पर्यटन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र

परिषद ने उपकुलपति द्वारा डा0 दिलीप कुमार दास, एसोसिएट प्रोफेसर का दिनांक 11 मई 2015 (अप0) से लागू एवं डा0 सोमेंद्र नाथ विश्वास, एसोसिएट प्रोफेसर का दिनांक 30 सितम्बर (अप0) से लागू त्याग पत्र स्वीकार करने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.स 23.3.6: अध्ययन छुट्टी प्रदान किया जाना

(क) सुश्र जस्मिन थिम्चुंगर का अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन पत्र -परिषद ने उपकुलपति द्वारा सुश्री जस्मिन थिम्चुंगर, सहायक प्रोफेसर, जन संचार विभाग को पी एच डी फील्ड कार्य हेतु दिनांक 1 जुलाई 2015 से 15 दिसम्बर 2015 तक अध्ययन छुट्टी प्रदान करने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

(ख) श्री मनोज दास का अध्ययन छुट्टी में विस्तार हेतु आवेदन पत्र - परिषद ने उपकुलपति द्वारा श्री मनोज दास, सहायक प्रोफेसर, जन संचार विभाग को दिनांक 1 अगस्त 2015 से 30 सितम्बर 2015 तक दो महीने की अवधि हेतु अध्ययन छुट्टी में विस्तार प्रदान करने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

टेबल मदें

ई.स॰ 23.3.7: पुस्तकालयाध्यक्ष की संवदाजन्य नियुक्ति का विस्तार

परिषद ने उपकुलपति द्वारा प्रो0 ए एस चंदेल, लाइब्रेरियन की दिनांक 31 मार्च 2016 तक वर्तमान सेवाशर्तों पर संवीदाजन्य नियुक्ति में विस्तार प्रदान करने की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

भाग - 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ मदें

ई.स॰ 23.4.1: भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण कर्मचारी) 2014 के प्रति संशोधन

रजिस्ट्रार ने इस मद को प्रस्तुत किया । परिषद के समक्ष यह रिपोर्ट की गई कि परिषद द्वारा इनकी दिनांक 15 नवम्बर 2014 को आयोजित 21वीं बैठक में अनुमोदित भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण कर्मचारी) के आधार पर, विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना वैज्ञानिक, सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा निरीक्षक, तकनीकी सहायक, फार्मेसिस्ट, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कूक, एम टी एस, किचन परिचारक, यू डी सी, व्यवसायिक सहायक, अर्धव्यवसायिक सहायक, पुस्तकालय परिचायनक , ड्राइवर, प्रयोगशाला परिचारक एवं एल डी सी की भर्ति प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संचालन में समर्थ रहा ।इसी समय विश्वविद्यालय आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर, सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, निजी सचिवएवं वैयक्तिक सहायक पदों को भरने में समर्थ नहीं हो सका । भर्ति प्रक्रिया के दौरान उपार्जित अनुभवों के आधार पर, भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण कर्मचारी) 2014 में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं । विचार विमर्श के बाद परिषद द्वारा भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण कर्मचारी 2014) में निम्नलिखित संशोधनों का अनुमोदन किया गया ।

1. **निम्नलिखित को नियम 8.6 के रूप में अंतर्मूक्त किया जाएगा :**

   8.6 स्कील जांच एवं अंतर्वाता द्वारा चयन

   (i) सभी आवेदकों को स्कील जांच परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जो न्यूनतम विज्ञापित अर्हताओं को पूरा करते हैं ।

   (ii) विश्वविद्यालय स्कील जांच परीक्षा का संचालन स्वयं कर सकती है, अथवा सिकी बाह्य अभिकरण को इस कार्य को आउटसोर्स कर सकता है।

   (iii) स्कील जांच परीक्षा हेतु निर्धारित भारित के आधार पर एक श्रेणी वार मेधा सूची तैयार की जाएगी ।

   (iv) मेधा सूची में दर्ज अभ्यर्थीकण 1:3 के अनुपात में अंतर्वाता हेतु आमंत्रित किए जाएंगे ।

(v) नियुक्ति अनुमोदित मेधा सूची से चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।

(vi) नियम 8.1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति, जहां विहित न हो, लागू होगी ।

2. नियम 8.4 (iii) के प्रति संशोधन

वर्तमान स्थिति	**संशोधन पश्चात**
• **स्कील टेस्ट हेतु आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए मेधा के अनुसार 1:8 के अनुपात में आमंत्रित किया जाएगा**	• **स्कील टेस्ट हेतु आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए मेधा के अनुसार 1:10 के अनुपात में आमंत्रित किया जाएगा**

3. कार्यकारी इंज□नियर के पद पर स□ध□ भर्ति हेतु आवश्यक अर्हता एवं अनुभव से संबंधित नियम 15.1 (ii) के प्रति संशोधन

वर्तमान स्थिति	**संशोधन पश्चात**
• **किस□ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंज□नियरी में डिग्र□**	• **किस□ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंज□नियरी में डिग्र□**
• **स□ प□ डब्ल्यू ड□/प□ डब्ल्यू ड□/लोक क्षेत्र उपक्रम/स्वशास□ निकायों में सहायक इंज□नियर के रूप में 15 वर्षों के अनुभव**	• **स□ प□ डब्ल्यू ड□/प□ डब्ल्यू ड□/लोक क्षेत्र उपक्रम/स्वशास□ निकायों में सहायक इंज□नियर के रूप में 10 वर्षों के अनुभव**
• **स□ प□ डब्ल्यू ड□/प□ डब्ल्यू ड□/लोक क्षेत्र उपक्रम/स्वशास□ निकायों में सहायक इंज□नियर के रूप में कम से कम 5 वर्षों के अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएग□**	• **स□ प□ डब्ल्यू ड□/प□ डब्ल्यू ड□/लोक क्षेत्र उपक्रम/स्वशास□ निकायों में सहायक इंज□नियर के रूप में कम से कम 2 वर्षों के अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएग□**

4. लोक संपर्क अधिकारी के पद पर स□ध□ भर्ति हेतु आवश्यक अर्हता एवं अनुभव से संबंधित नियम 19.1 (ii) के प्रति संशोधन

वर्तमान स्थिति	**संशोधन पश्चात**
• **किस□ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में कम से कम 55% अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्र□ अथवा इसके समतुल्य ग्रेड**	• **किस□ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्र□ अथवा इसके समतुल्य ग्रेड**
• **किस□ विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर**	• **किस□ विश्वविद्यालय को वरीयता अथवा**

शिक्षा के किस संस्थान से लोक संबंध में दो वर्षों का अनुभव • प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सपंर्क स्थापित करने में सक्षम हो • प्रचार सामग्र एवं प्रेस विज्ञप्ति/टिप्पण तैयार करने में सक्षम हो ।	उच्चतर शिक्षा संस्थान से लोक संबंध में दो वर्षों का अनुभव • प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सपंर्क स्थापित करने में सक्षम हो • प्रचार सामग्र एवं प्रेस विज्ञप्ति/टिप्पण अंग्रेज साथ ही स्थानय भाषा में तैयार करने में सक्षम हो ।

परिषद ने आगे लिखित परीक्षा एवं अंतर्वार्ता के माध्यम से लोक संपर्क अधिकारी की भर्ति हेतु प्रक्रिया का भ अनुमोदन किया, जिसके लिए आर एवं आर नियमावली में पद्धति पूर्व से ही विहित है ।

5. गैर शिक्षण पद हेतु सिलेबस ड्राफ्ट करने के लिए गठित समिति की अनुशंसा के पैरा 4(iv) के प्रति निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किया गया:

वर्तमान स्थिति	संशोधन पश्चात
• एल ड स के लिए टंकण जांच अंग्रेज में कंप्यूटर में संचालित की जाएग । अभ्यर्थियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करना होगा । अर्हता सम से कम गति वाले अभ्यर्थियों को अन-अर्हित किया जाएगा। अर्हता सम अथवा इस के ऊपर की गति वाले अभ्यर्थियों को, 100 के अधिकतम अंक की शर्त पर, स्कील जाचं हेतु समान संख्या में अंक दिया जाएगा । लिखित परीक्षा एवं स्कील जांच में प्राप्त अंको का संगणन अंतर्वार्ता हेतु मेधा सूच निर्माण के लिए किया जाएगा ।	• एल ड स हेतु, अंग्रेज में टंकण जांच कंप्यूटर पर संचालित की जाएग । अभ्यर्थियों को पद पर अर्हता प्राप्त करने के लिए 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करना होगा। (सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 10 शब्द प्रति मिनट की छूट की शर्त पर) अर्हता सम अथवा इस के ऊपर की गति प्राप्त अभ्यर्थियों को, अधिकतम 100 के अंक की शर्त पर, स्कील जाचं हेतु वही अंक प्राप्त होगा , जैसा कि टंकण गति के लिए । लिखित परीक्षा एवं स्कील जांच में प्राप्त अंको का संगणन अंतर्वार्ता हेतु मेधा सूच निर्माण के लिए किया जाएगा ।
• वैयक्तिक सहायक (प ए) एवं वैयक्तिक सचिव(प एस) हेतु, अभ्यर्थियों को टंकण जांच के साथ स्टेनोग्राफी जांच हेतु उपस्थित होना पड़ेगा । टंकण जांच अर्हता जांच होग, जिसके लिए अभ्यर्थियों को अंग्रेज में 50 शब्द प्रति	• वैयक्तिक सहायक (प ए) एवं वैयक्तिक सचिव(प एस) हेतु, अभ्यर्थियों को टंकण जांच साथ ही स्टेनोग्राफी जांच हेतु उपस्थित होना पड़ेगा । टंकण जांच अर्हता जांच होग, जिसके लिए अभ्यर्थियों को अंग्रेज में न्यूनतम 50 शब्द प्रति मिनट

मिनट की न्यूनतम टंकण गति होन□ चाहिए	**की न्यूनतम टंकण गति होन□ चाहिए (सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 10 शब्द प्रति मिनट की अधिकतम छूट की शर्त पर)**

ई.स□ 23.4.2: कार्यकारी परिषद में एल्युमन□ का अंतर्वेशन

परिषद ने विचार विमर्श के बाद विश्वविद्यालय की सांविधि 11 के खंड (1) के प्रति निम्नानुसार उपखंड (xi), उपखंड (x) के बाद, संशोधन विजिटर के अनुमोदनार्थ अनुशंसा किया:

कार्यकारी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के तीन एल्युमनी को नामित किए जाने के लिए

ई.स□ 23.4.3: सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एस यू टी ए) हेतु ₹ 50,000/-की स□ड मन□

परिषद ने इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया । चर्चा के उपरांत, परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एस यू टी ए) के प्रति ₹50,000/- का प्रतिदान अनुमोदित किया ।

ई.स□ 23.4.4: शिक्षकों की परीविक्षा अवधि की पूर्णता

परिषद को सूचित किया गया कि नीचे सूचीबद्ध संकाय सदस्यों ने उनके विरूद्ध दर्शायी गई तारीख से एक वर्ष की परीविक्षा अवधि पूर्ण कर लिया है । उनके कार्यनिष्पादनों की समीक्षा की गई थी तथा इनमें से किसी मामले में कोई प्रितकूल अभ्युक्ति नहीं पाई गई थी । यद्यपि प्रो इर्शाद गुलाम अहमद ने अपने दिनांक 28.10.2015 के उपकुलपति को संबोधित आवेदन के द्वारा अपनी पुष्टिकरण को विलंबित करने की मांग की गई है, क्योंकि उन्हें अपने सेवानिवृत्ति दावों, पश्चिम बंगाल के साथ पेंशन सहित के निपटारा हेतु कुछ और समय की आवश्यकता है । परिषद ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया तथा विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की पुष्टि को विलंबित किया ।

परिषद ने निम्निलिखित शिक्षकों उनके विरूद्ध दर्शाए गए परीविक्षा की समाप्ति की तारीख से परीविक्षा उठाए जाने तथा परीविक्षा की समाप्ति की अगली तारीख से विश्वविद्यालय में सेवाओं की पुष्टि का अनुमोदन किया ।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	विभाग	कार्यग्रहण की तारीख	परीविक्षा समाप्ति की तारीख
1.	डा0 समीरा मैती	प्रोफेसर	एन्थ्रोपोलॉ	30.06.2014	29.06.2015

2.	डा0 कोटरा राईन	एसोसिएट प्रोफेसर	जी	05.05.2014	04.05.2015
3.	डा0 मैइबाम सामसन सिंह	सहायक प्रोफेसर		24.04.2014	23.04.2015
4.	डा0 करिष्मा कार्थक लेप्चा	सहायक प्रोफेसर		28.04.2014	27.04.2015
5.	डा0 एन विजयलक्ष्मी देवी	सहायक प्रोफेसर	वनस्पति विज्ञान	22.04.2014	21.04.2015
6.	डा0 अरूण छेत्री	स0 प्रोफेसर		22.04.2014	21.04.2015
7.	डा0 विश्वजीत गोपाल राय	सहायक प्रोफेसर	रसायनशास्त्र	23.04.2014	22.04.2015
8.	डा0 मोरोमती बरूआ	सहायक प्रोफेसर	चीनी	29.04.2014	28.04.2015
9.	डा0 सुधांशु शेखर महापात्र	एसोसिएट प्रोफेसर	वाणिज्य	15.05.2014	14.05.2015
10.	श्री बी मुत्थु पांडियन	सहायक प्रोफेसर		16.05.2014	15.04.2015
11.	श्री राकेश बस्नेत	सहायक प्रोफेसर		06.05.2014	05.05.2015
12.	श्रीमती लेखिका छेत्री	सहायक प्रोफेसर	कंप्यूटर अनुप्रयोग	12.05.2014	11.05.2015
13.	डा0 कोमल सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	अर्थशास्त्र	25.04.2014	24.04.2015
14.	डा0 राजेश राज एस.एन.	एसोसिएट प्रोफेसर		26.06.2014	25.06.2015
15.	डा0 अंजु वर्मा	सहायक प्रोफेसर	शिक्षा	28.04.2014	27.04.2015
16.	डा0 सुभाष मिश्रा	सहायक प्रोफेसर		28.04.2014	27.04.2015
17.	डा0 विमल किशोर	सहायक प्रोफेसर		30.04.2014	29.04.2015
18.	डा0 जयिता सेनगुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी	04.06.2014	03.06.2015
19.	सुश्री स्वाती साहा	स0 प्रोफेसर		08.05.2014	07.05.2015
20.	सुश्री अबोर्ना लिपान्डी अदेन	सहायक प्रोफेसर		08.05.2014	07.05.2015
21.	डा0 राम भवन यादव	सहायक प्रोफेसर		28.04.2014	27.04.2015

22.	श्री बडिकर आनंद गणपति	सहायक प्रोफेसर	जिओलॉजी	15.05.2014	14.05.2015
23.	श्री दिनेश साहु	सहायक प्रोफेसर	हिंदी	23.04.2014	22.04.2015
24.	डा0 विजय कुमार तांगेलापाली	एसोसिएट प्रोफेसर	इतिहास	02.05.2014	01.05.2015
25.	डा0 अनिरा फिप्पन लेप्चा	सहायक प्रोफेसर		01.05.2014	30.04.2015
26.	डा0 लक्षुमन शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर	बागवानी	23.06.2014	22.06.2015
27.	डा0 कर्मा डिकी भुटिया	सहायक प्रोफेसर		23.05.2014	22.05.2015
28.	श्री विजय वी	सहायक प्रोफेसर	विधि	05.05.2014	04.05.2015
29.	डा0 सोनाम यांग्येन भुटिया	सहायक प्रोफेसर		08.05.2014	07.05.2015
30.	डा0 वंगापांडु रामादेवी	एसोसिएट प्रोफेसर	प्रबंधन	06.05.2014	05.05.2015
31.	डा0 कृष्ण मुरारी	सहायक प्रोफेसर		12.05.2014	11.05.2015
32.	डा0 अंचता रवि प्रकाश	सहायक प्रोफेसर		01.05.2014	30.04.2015
33.	डा0 शिलाजीत गुहा	एसोसिएट प्रोफेसर	जन संचार	29.05.2014	28.05.2015
34.	श्रीमती निहारिका बुढ़ागोहाई	सहायक प्रोफेसर		12.06.2014	11.06.2015
35.	सुश्री रिंकिला भुटिया	सहायक प्रोफेसर	गणित	06.05.2014	05.05.2015
36.	डा0 टाउडेम रोशन सिंह	सहायक प्रोफेसर		05.05.2014	04.05.2015
37.	डा0 नगेंद्र ठाकुर	सहायक प्रोफेसर	माइक्रोबायोलॉजी	23.04.2014	22.04.2015
38.	श्री संतोष कुमार	सहायक प्रोफेसर	संगीत	28.04.2014	27.04.2015
39.	डा0 पुष्पा शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर	नेपाली	15.05.2014	14.05.2015
40.	डा0 दुर्गा प्रसाद छेत्री	एसोसिएट प्रोफेसर	राजनीति शास्त्र	15.05.2014	14.05.2015

41.	डा0 अमित कुमार गुप्ता	सहायक प्रोफेसर		30.04.2014	29.04.2015
42.	डा0 बुद्ध बहादुर लामा	सहायक प्रोफेसर		02.06.2014	01.06.2015
43.	डा0 नुतन कुमार एस. थिंगुजाम	एसोसिएट प्रोफेसर	मनोविज्ञान	24.04.2014	23.04.2015
44.	डा0 सौरभ माहेश्वरी	सहायक प्रोफेसर		23.05.2014	22.05.2015
45.	डा0 संध्या थापा	एसोसिएट प्रोफेसर	समाजशास्त्र	15.05.2014	14.05.2015
46.	डा0 स्वाती ए सचदेवा	एसोसिएट प्रोफेसर		28.04.2014	27.04.2015
47.	डा0 जिग्में वांगचुक भुटिया	सहायक प्रोफेसर	पर्यटन	05.05.2014	04.05.2015
48.	सुश्री आसी पेमपेम वांगमो	सहायक प्रोफेसर		01.05.2014	30.04.2015
49.	डा0 भोज कुमार आचार्या	सहायक प्रोफेसर	प्राणीशास्त्र	05.05.2014	04.05.2015
50.	डा0 बिशु सिंह	सहायक प्रोफेसर		27.05.2014	26.05.2015

ई.स॰ 23.4.5: गैर शिक्षण कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि की पूर्णता

परिषद ने निम्नलिखित दो गैर शिक्षण कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि की समाप्ति की तारीख को नोट किया । परिषद ने यह भी नोट किया कि उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा रिपोर्टिंग तथा रिव्यूइंग प्राधिकारी द्वारा की गई है । इन दोनों में से किसी भी मामले में प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं पाई गई है । संतोषजनक कार्यनिष्पादन की दृष्टि में रखते हुए, परिषद ने प्रत्येक के विरूद्ध दर्शाई गई परीविक्षा की समाप्ति की तारीख से परीविक्षा को उठाए जाने तथा परीविक्षा की समाप्ति की अगली तारीख से विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की पुष्टि का अनुमोदन किया:

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	परीविक्षा समाप्ति की तारीख
1.	श्रमती प्रभा मुखिया	सहायक	23.04.2014	22.04.2015
2.	सुश्री रेणुका छेत्री	सहायक	01.08.2014	31.07.2015

ई.स□ 23.4.6: विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति

उपकुलपति ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि शिक्षण पदों के लिए अंतर्वार्ता दिनांक 9 सितंबर 2015 से 9 अक्टूबर 2015 तक सभी अल्पसूचीकृत पदों के लिए संचालित किया गया था । तत्पश्चात, चयन समिति कार्यवाहियों को खोला गया तथा चयन समिति द्वारा यथा अनुशंसित निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के विरूद्ध दर्शाए गए पदों के लिए नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जारी करने को अनुमोदित किया गया:

(i) शिक्षण पदें

विभाग	पद	चयनित अभ्यर्थी के नाम	अभ्युक्तियां
1. भाषाएं एवं साहित्य स्कूल			
चा□	सहायक प्रोफेसर	इरफान अहमद	ओ ब□ स□
अंग्रेजा□	एसोसिएट प्रोफेसर	रोज□ चामलिंग	ओ ब□ स□
हिंदी	प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
2. जा□व विज्ञान स्कूल			
माइक्रोबायोलॉज□	एसोसिएट प्रोफेसर	शून्य	
बॉटन□	एसोसिएट प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
	सहायक प्रोफेसर	अरूण कुमार राई	यू आर
		प्रत□क्षा सूच□	
		अंगरिंजिंग शेर्पा	यू आर
जूलॉज□	सहायक प्रोफेसर	सुदीप धतान□	एस स□
		प्रत□क्षा सूच□	
		धिरज कुमार	एस स□
	एसोसिएट प्रोफेसर	शून्य	
बागवान□	एसोसिएट प्रोफेसर	प□ राजा	यू आर
		प्रत□क्षा सूच□	
		निलाद्री बाग	यू आर
	सहायक प्रोफेसर	राजेश कुमार	एस स□
3. फिजिकल साइंसेज स्कूल			
केमेस्ट्री	एसोसिएट प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
जिओलॉज□	एसोसिएट प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
	सहायक प्रोफेसर	ओम प्रकाश कप्तान	एस स□
कंप्यूटर अनुप्रयोग	एसोसिएट प्रोफेसर	मोहन प्रताप प्रधान	यू आर
		प्रत□क्षा सूच□	
		ए वेकंट कृष्णा प्रसाद	यू आर
गणित	एसोसिएट प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
	सहायक प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
4. प्रोफेशनल स्टड□ज स्कूल			
वाणिज्य	प्रोफेसर	अभिज□त दत्ता***	यू आर
प्रबंधन	प्रोफेसर	व□रामा देव□***	यू आर
	एसोसिएट प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
	सहायक प्रोफेसर	रचना राई	ओ ब□ स□
		प्रत□क्षा सूच□	
		सलिल सेठ	ओ ब□ स□
शिक्षा	एसोसिएट प्रोफेसर	टल्लुरिज मौन□ सुवर्ण राजू	एस स□
संगा□त	प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	

	एसोसिएट प्रोफेसर	कृष्णेंदु दत्ता	यू आर
5. सामाजिक विज्ञान स्कूल			
अर्थशास्त्र	प्रोफेसर	शून्य	यू आर
इतिहास	सहायक प्रोफेसर	खरेणूका देवी	
		एस जीवानन्दम	ओ बी सी
		प्रतीक्षा सूची	
		मिसाला रामकृष्णा	एस सी
		भावना राई	ओ बी सी
विधि	एसोसिएट प्रोफेसर	प्रवीण मिश्रा	यू आर
	सहायक प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
राजनीति शास्त्र	सहायक प्रोफेसर	स्वास्तिका प्रधान	यू आर
		प्रतीक्षा सूची	
		समीर शर्मा	यू आर
अंतर्राष्ट्रीय संबंध	प्रोफेसर	शून्य	
समाजशास्त्र	सहायक प्रोफेसर	शंकर नारायण बाग	एस सी
		नयनी बसु	यू आर
		प्रतीक्षा सूची	
		टीना अनिल	एस सी
		सोना राई	यू आर
6. ह्यूमन साइंसेज स्कूल			
एंथ्रोपोलॉजी	एसोसिएट प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
	सहायक प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं	
मनोविज्ञान	सहायक प्रोफेसर	नम्रता	ओ बी सी
		प्रतीक्षा सूची	
		रवि शंकर दत्ता	ओ बी सी

***प्रबंधन विभाग में प्रोफेसर के पद हेतु चयन समिति ने प्रबंधन विभाग में प्रोफेसर का पद डा0 रामा देवी को तथा वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर का पद डा0 अभिजीत दत्ता को देने का निर्णय किया । यद्यपि डा0 दत्ता वाणिज्य विभाग हेतु अंतवार्ता के लिए अभ्यर्थी नहीं था, फिर भी उनकी स्पेशलाइजेशन एवं अनुभवों को देखते हुए चयन समिति ने उन्हें वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर का पद प्रस्तावित करने का निर्णय लिया ।

(ii) गैर शिक्षण पदें

विभिन्न पदों हेतु चयन-प्रक्रिया भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण) 2014 में यथा विहित संचालित की गई । कार्यकारी परिषद ने चयन समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया । चयनित/प्रतीक्षा सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची निम्नलिखित है:

पद	चयनित व्यक्ति	अभ्युक्तियां
सहायक लाइब्रेरियन	संदीप मजुमदार	ओ बी सी
	सर्वदा प्रधान	यू आर
	प्रतीक्षा सूची	
	त्रिनयन बुढ़ागोहाई	ओ बी सी
	सोम्पिता दास	यू आर
सूचना वैज्ञानिक	मनीष सोनी	ओ बी सी

	प्रत□क्षा सूच□	
	एम ए रजाक	ओ ब□ स□
लोक संपर्क अधिकारी	कोई उपयुक्त नहीं	
व्यवसायिक सहायक	माधुरी	ओ ब□ स□
	प्रत□क्षा सूच□	
	मनोज कुमार पाल	ओ ब□ स□
अर्ध व्यवसायिक सहायक	रिंकु तामांग	एस टी
	प्रत□क्षा सूच□	
	अभिज□त राय	यू आर
सुरक्षा पर्यवेक्षक	नेत्र खरेल	यू आर
	प्रत□क्षा सूच□	
	सुबे गुरू चरण देहुरी	ओ ब□ स□
सुरक्षा निरीक्षक	राजेश कलवार	ओ ब□ स□
तकन□की सहायक	अनिल खत्र□	एस स□
	सुकांत देव	ओ ब□ स□
	अदीप तिर्वा	एस स□
	डिम्पल राई	ओ ब□ स□
	किशोर छेत्र□	यू आर
फार्मासिस्ट	अभिज□त प्रमाणिक	एस स□
प्रयोगशाला सहायक	सुदीप विश्वास	एस स□
	वेदात प्रकाश सैकिया	यू आर
	विनोद छेत्र□	यू आर
	दिनेश राई	यू आर
	नर बहादुर सुब्बा	एस टी
	तुलस□ शर्मा	यू आर
पुस्तकालय सहायक	मंजू सूब्बा	यू आर
	पिंकी राई	ओ ब□ स□
	प्रत□क्षा सूच□	
	रिक्की सिंह सेंचूरी	यू आर
	अभिज□त राई	ओ ब□ स□
प्रवर श्रेण□ लिपिक	ग्यान छिरंग लेप्चा	एस टी
	तेन्ज□ंग चुन□ भुटिया	एस टी
	रेशु प्रधान	यू आर
	विजय कुमार छेत्र□	यू आर
	प्रत□क्षा सूच□	
	बिसु लाल सुब्बा	यू आर
	विपुल प्रधान	यू आर
अवर श्रेण□ लिपिक	सामसन मंगर	यू आर/ओ ब□ स□
	रोशन कुमार छेत्र□	यू आर
	हिस्से गुरूंग	यू आर/ओ ब□ स□
	सुजाता छेत्र□	यू आर
	ललित बहादुर गुरूंग	ओ ब□ स□
	दिवास राई	ओ ब□ स□
	अंकुश गौरव	ओ ब□ स□

	जोशना राई	**ओ बी सी**
	पूजा खालिंगे	**एस सी**
	राकेश पासवान	**एस सी**
	प्रतीक्षा सूची	
	आशिकी मुखिया	**यू आर**
	मनीष बौन्ठियाल	**यू आर**
	योगेश राई	**ओ बी सी**
	सैइजवाल धिमिरे	**एस सी**
ड्राइवर्स	**विजय गजमेर**	**यू आर/एस सी**
	मनोज राई	**ओ बी सी**
	प्रतीक्षा सूची	
	टिका राम छेत्री	**यू आर**
	मोसेस राई	**ओ बी सी**
कूक	**प्रेम बहादुर छेत्री**	**यू आर**
एम टी एस	**एल बी छेत्री**	**यू आर**
	अम्बर मंगर	**ओ बी सी/डी ए**
	धनश्याम धिमिरे	**यू आर**
	रिजिंग नोर्बु भुटिया	**एस टी**
	कुमार मंगर	**ओ बी सी**
	गोपाल विश्वकर्मा	**एस सी/यू आर**
	प्रतीक्षा सूची	
	ललित बहादुर गुरूंग	**ओ बी सी**
	विष्णु माया कार्की	**यू आर**
	पाल्देन लेप्चा	**एस टी**
लाइब्रेरी परिचारक	**अभिजीत राई**	**ओ बी सी**
	कुंतल प्रमाणिक	**एस सी**
	प्रतीक्षा सूची	
	रबिना राई	**ओ बी सी**
प्रयोगशाला परिचारक	**सबिना शर्मा**	**यू आर**
	प्रतीक्षा सूची	
	बंदना छेत्री	**यू आर**
किचेन परिचारक	**बिमला राई**	**ओ बी सी**

ई.सी. 23.4.7: अध्ययन की छुट्टी की स्वीकृति।

(क) श्री वीर मंयक का अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन पत्र

इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत परिषद श्री वीर मयंक को दिनांक 1 फरवरी 2016 से दो वर्षों की अवधि हेतु पी एच डी फील्ड कार्य एवं शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए छुट्टी अध्यादेश में दी गई सभी शर्तों के अनुपालन के शर्त पर अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति का अनुमोदन किया

(ख) डा0 रफिउल अहमद का अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन पत्र

परिषद ने डा0 रफिउल अहमद को दिनांक 1 फरवरी 2016 से दो वर्षों की अवधि हेतु छुट्टी अध्यादेश में दी गई शर्तों के अनुपालन के शर्त पर अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति को नोट तथा अनुमोदन किया

(ग) श्र बलराम पांडे का अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन पत्र

परिषद ने श्री बलराम पांडे को दिनांक 1 फरवरी 2016 से दो वर्षों की अवधि हेतु छुट्टी अध्यादेश में दी गई शर्तों के अनुपालन के शर्त पर अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति को नोट तथा अनुमोदन किया ।

(घ) सुश्र सांग्मु थेन्डूप का अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन पत्र

परिषद ने विचार विमर्श के बाद सूश्री सांग्मु थेन्डूप, सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग को दिनांक 1 फरवरी 2016 से दो वर्षों की अवधि हेतु छुट्टी अध्यादेश में दी गई शर्तों के अनुपालन के शर्त पर अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति को नोट तथा अनुमोदन किया ।

ई.स 23.4.8: संवदा अवधि के दौरान सेवाओं की सभ उद्देश्यों के लिए गणना:

अध्यक्ष ने परिषद की दृष्टि में लाया कि इनकी दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को आयोजित 16वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सिक्किम विश्वविद्यालय में सकाय सदस्यों की संवीदा आधार पर नियुक्ति की अवधि की गणना, वेतनवृद्धि वरिष्ठता आदि सभी उद्देश्यों के लिए दृष्टि से की जाएगी कि उनकी नियुक्ति नियमित चयन समिति के माध्यम से की गई थी । यद्यपि इस संबंध में निम्नलिखित परिषद के समक्ष लाया गया:

(i) वर्ष 2012 से पूर्व अनुसरण की गई चयन पद्धतियों में से कोई भी नियमित नियुक्ति हेतु नहीं थी ।

(ii) वर्ष 2012 से पूर्व अनुसरण की गई किसी भी चयन पद्धतियों में विजिटर नॉमिनी, एथ्नोबॉटनी के मामले को छोड़कर उपस्थित नहीं था ।

(iii) वर्ष 2012 के पूर्व की सभी नियुक्तियां विभिन्न अवधियों हेतु सेवा में अंतराल के साथ संविदा आधार पर की गई थी।

(iv) यदि परिषद संविदा जन्य सेवाओं का लाभ शिक्षकों को देता है तो यह ऐसा लाभ गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए सोचा जाना चाहिए, जिन्हें संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है ।

(v) यह चयन समितियों की अनुशंसाओं की अवहेलना करने के बराबर होगा ।

परिषद ने इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया । चर्चा के उपरांत, परिषद ने मद संख्या 5.3 (ई)के अंतर्गत, दिनांक 17 मार्च 2015 की 16वीं बैठक में दिया गया अनुमोदन वापस लिया । यद्यपि मानवता के आधार पर परिषद ने रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी एवं सेवा मामलों पर एक बाह्य विशेषज्ञ उप कुलपति द्वारा नामित, की एक समिति के गठन को अनुमोदन किया, ताकि उन शिक्षकों पर विचार किया जा सके जो कि पूर्व में संविदा आधार पर थे ।

ई.स 23.4.9: डा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर की चार्ज सट के प्रति अनुक्रिया

परिषद को सूचित किया गया कि इन की दिनांक 15 नवंबर 2014 को आयोजित 21वीं बैठक में उपकुलपति को डॉक्टर सोहेल फिरदोस, एसोसिएट प्रोफेसर के विरुद्ध आरोपों के फ्रेम करने के लिए तथा यदि आवश्यक हो सीसीएस (सीसीए) नियमावली के अंतर्गत एक इंक्वायरी के संचालन किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था । तदनुसार डा0 फिरदौस

को एक आरोप पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2014 को इस निदेश के साथ दिया गया था कि वह इस आरोप पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के अंतर्गत अपने बचाव में एक लिखित विवरण प्रस्तुत करें । डा0 फिरदौस के विरुद्ध लगाए गए आरोप निम्नानुसार थे:

(i) *कि कथित डॉक्टर सोहेल फिरदौस] एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने प्रत्येक छात्र के साथ संबंध स्थापित करके एक शिक्षक के रूप में चारित्रिक/ नैतिक कदाचार का प्रदर्शन किया है ।*

(ii) *की कथित डॉक्टर सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर ने भूगोल विभाग में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करने के दौरान विभाग के छात्रों को फील्ड भ्रमण हेतु ना ले जाकर अपने कर्तव्य में लापरवाही किया है , इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय से अग्रिम का आहरण किया था ।*

(iii) *की कथित डॉक्टर सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना अपने ड्यूटी स्टेशन से अनुपस्थित रहे ।*

(iv) *की कथित डॉक्टर सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर, सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एस यू टी ए) के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान प्राधिकारियों के विरुद्ध गैर-प्रमाणीकृत आरोप लगाने वाला "श्वेत पत्र" जारी तथा परिचालित करवाया था, जिनके द्वारा उन्होंने विश्वविद्यालय कर्मचारी के रूप में आचरण के विरुद्ध कार्य किया है* ।

डॉक्टर सोहेल ने अपने उत्तर में दिनांक 19 दिसंबर 2015 सभी आरोपों को स्वीकार किया है । यद्यपि अनुच्छेद 3 के लिए उन्होंने कहा है कि उप कुलपति द्वारा जारी दिनांक 22 मई 2014 के एक पत्र में उन्होंने पूर्व में ही स्वीकार किया है कि दिनांक 12 से 14 अप्रैल 2014 तक अनुपस्थित रहे ।

परिषद को यह भी जानकारी दी गई कि चूंकि डा0 सोहेल द्वारा सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया गया है, तो इंक्वायरी के गठन की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा उन पर सीधे दंड लगाया जा सकता है ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने डा0 साहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर पर निम्नलिखित दंड आरोपित किए जाने का अनुमोदन किया:

"डॉ सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन घटाकरपे बैंड में रुपए 37,400 के स्तर तक 3 वर्षों की अवधि हेतु लाया जाए, जिस के दौरान में कोई वेतन वृद्धि अर्जित नहीं कर सकेंगे । वेतन वृद्धि को स्थगित किया जाना संचयी प्रभाव का होगा अर्थात में 3 वर्षों की दंड अवधि के पश्चात वेतन वृद्धि अर्जित करने लगेंगे । परिषद ने यह भी अनुमोदित किया कि डॉक्टर सोहेल फिरदौस,को प्रमुख अथवा डीन नहीं बनाया जाएगा अथवा दंड की अवधि के दौरान, अर्थात 3 वर्षों के दौरान कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा"

टेबल मदें

ई.स 23.4.10: हार्टीकल्चर विभाग में एडजंक्ट संकाय की नियुक्ति

प्रोफेसर के. के. जिंदल, यू जी सी इमेरिटसफेलो ने यूजीसी मार्गदर्शनों के अनुसार हार्टीकल्चर विभाग में एडजंक्ट संकाय हेतु आवेदन किया है । उपकुलपति ने निम्नलिखित के साथ प्रोफेसर के. के. जिंदल के मामले पर विचार करने के लिए एक समिति गठित किया है:

i. प्रो0 टी बी सुब्बा, उपकुलपति -अध्यक्ष
ii. प्रो0 एस एन पुरी, पूर्व बी सी सी ए यू -सदस्य
iii. प्रो0 जे.पी.तामांग, डीन, जीव विज्ञान स्कूल -सदस्य

iv. डा0 एस मणिवन्नान, एच ओ डी, हार्टीकल्चर विभाग -सदस्य

v. श्री टी.के.कौल, रजिस्ट्रार -सदस्य सचिव

समिति ने प्रोफेसर के. के. जिंदल का बायोडाटा तथा हार्टीकल्चर विभाग से प्राप्त अनुशंसाओं पर परीक्षण के बाद प्रोफ़ेसर के के जिंदल की हॉर्टिकल्चर विभाग में एडजंक्ट संकाय के रूप में अगला सेमेस्टर आरंभ होने से 6 माह की अवधि, अर्थात,1 फरवरी 2016 से यूजीसी मानदंड के अनुसार विहित पारिश्रमिक,अर्थाता रू0 1000/-प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम रूपए 4,000 प्रति दिवस अधिकतम रुपये 80000 प्रति माह की शर्त पर नियुक्ति की अनुशंसा की।

कार्यकारी परिषद ने चर्चा के बाद प्रोफ़ेसर के के जिंदल की बागवानी विभाग में एडजंक्ट संकाय के रूप में दिनांक 1 फरवरी 2016 से 6 माह की अवधि हेतु नियुक्ति के अनुशंसाओं का अनुमोदन किया ।

ई.स 23.4.11: डा0 टेइबोरलांग टी. खर्शिनट्यु, सहायक प्रोफेसर को लिइन पर कार्यभार मूक्त करना

अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग मेंडा0 टेइबोरलांग टी. खर्शिनट्यु, सहायक प्रोफेसरका चयन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के रूप में हुआ है ,और उन्होंने दिनांक 3 जनवरी 2016 से लियन पर कार्यभार मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

चूंकि डॉक्टरडा0 टेइबोरलांग टी. खर्शिनट्युएक स्थाई संकाय सदस्य है, अतः परिषद विचार करने के बाद दिनांक 3 जनवरी 2016 को लियेन पर कार्यमुक्त किए जाने के उनके अनुरोध को 1 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकार किया । डॉक्टरडा0 टेइबोरलांग टी. खर्शिनट्यु, द्वारा धारित पद लियन रिक्तता के विरुद्ध विज्ञापित किया जा सकता है ।

ई.स 23.4.12: सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ का गठन

श्री टिकेंद्र कु. छेत्री ,एक पीएचडी स्कॉलर की प्रमुखता में 15 सदस्य छात्र प्रतिनिधिगण द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय छात्रसंघ का एक ड्राफ्ट संविधान कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है ।

परिषद ने नोट किया कि ड्राफ्ट संविधान लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप है। सिक्किम विश्वविद्यालय छात्रसंघ का ड्राफ्ट संविधान अनुलग्नक 1 पर यथाप्रस्तुत परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

ई.स 23.4.13: सिक्किम विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय अग्रिम औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जापान के बाघ शैक्षणिक सहभागिता

प्रोफेसर जे. पी. तामांग ने इस मद को प्रस्तुत किया । विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अग्रिम औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जापान के साथ शैक्षणिक सहभागिता में इनके बायोमेडिकल अनुसंधान संस्थान के माध्यम से प्रवेश का प्रस्ताव निम्नलिखित सहकारिता शैक्षणिक संलग्नता के क्षत्र में किया गया है:

(i) अनुसंधान एवं शिक्षा कार्यक्रमों, शिक्षण एवं लर्निंग सामग्रियों आदि पर सूचना विनिमय

(ii) अल्पावधिक निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों, सेमिनारों , सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं को संयुक्त रूप से पारस्परिक हितों के विषयों पर आयोजित करना तथा एक दूसरे के अनुसंधानकर्ताओं को भागीदारी हेतु आमंत्रित करना

(iii) निधि प्रदाय अभिकरणों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में संयुक्त रूप से प्रस्ताव एवं संलग्नता तथा सीमित अवधियों के लिए पारस्परिक अनुसंधानकर्ताओं एवं छात्रों का विनिमय करना।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद सिक्किम विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय अग्रिम औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जापान के बीच शैक्षणिक सहभागिता हेतु यथाप्रस्तुत अनुलग्नक-2 के ड्राफ्ट अनुबंध का अनुमोदन किया ।

ई.स□ 23.4.14: 8वां□ वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

उपकुलपति ने परिषद को सूचित किया कि संपादकीय समिति, जिसमें प्रोफेसर जे. पी. तमांग,इसके अध्यक्ष के रूप में तथा प्रोफ़ेसर पी सीप्रधान, प्रोफ़ेसर समीरा मैती, डॉक्टर सुबीर मुखोपाध्याय, डॉक्टर इन के पासवान, डॉ बी आर छेत्री, डा0 ए.एन.शंकर एवं श्री सी बी छेत्री इसके सदस्य के रुप में सम्मिलित हैं, का गठन वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के निर्माण हेतु किया गया है।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 को एमएचआरडी के प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए अनुमोदित किया।

ई.स□ 23.4.15: बारहवां□ योजना के अंतर्गत 12 शिक्षण पदों का सृजन

परिषद को सूचित किया गया यू जी सी ने अपने दिनांक 20 अक्टूबर 2015 के पत्र के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के स्तर पर 12 विभागों के लिए एक एक सहायक प्रोफेसर पद का कुल 12 शिक्षण पदों की स्वीकृति सूचना दी गई है:

एंथ्रोपोलॉजी, रसायन शास्त्र, चीनी, शिक्षा, अंग्रेजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जनसंचार, गणित माइक्रोबायोलॉजी, नेपाली, समाजशास्त्र एवं पर्यटन।

कार्यकारी परिषद ने ऊपर वर्णित सभी 12 विभागों के लिए एक एक कर 12 शिक्षण पदों के सृजन का अनुमोदन किया। परिषद ने यह भी सलाह दी कि ऊपर वर्णित सहायक प्रोफेसर के 12 पदों का सृजन वित्त समिति के समक्ष उनकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

भाग - 5

प्राधिकारियों /समितियों के कार्यवृत्त

ई.स□ 23.4.15: शैक्षणिक परिसद की बैठक के कार्यवृत्त

i. शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25मई 2015 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त
ii. शैक्षणिक परिषद की दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को आयोजित 18 वीं बैठक के कार्यवृत्त (टेबल मद)

परिषद ने शैक्षणिक परिषद की 25 मई 2015 एवं 26 अक्टूबर 2015 को आयोजित क्रमश:17 एवं 18 वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा निम्नलिखित मदों पर अपना विशिष्ट अनुमोदन दिया:

(क) पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन
(ख) जी बी पी आई एच ई डी, अल्मोड़ा एवं गुवाहाटी का ओ सी-7 के अनुसार संबद्धता
(ग) विश्वविद्यालय में 12वीं योजना के अंतर्गत यूजीसी चेयरों की स्थापना
(घ) बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस लॉ, मेडिसिन, शिक्षा ,गृह विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संरचना पर ओ सी-4 के प्रति संशोधन
(ङ) राष्ट्रीय सेवा पर अनिवार्य लेखा परीक्षा पत्र
(च) संबद्ध महाविद्यालयों के लिए शासकीय निकाय /परामर्शदायी समिति पर अध्यादेश
(छ) विश्वविद्यालय अनुसंधान अवार्ड की स्वीकृति हेतु मार्गदर्शन

शैक्षणिक परिषद की आठवं बैठक

(क) रिक्त संकाय पदों के लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं
(ख) शैक्षणिक परिषद में एल्युमिनी का अंतर्वेशन
(ग) जामिया उर्दू अलीगढ़ के "अदीबए माहिर" कि सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु xiiस्टैंडर्ड के समतुल्य मान्यता
(घ) नेपाली विभाग के अंतर्गत मूक बधिर भाषा में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रस्तावना
(ङ) हिंदी में एकीकृत बी. ए.- एम. ए. पाठ्यक्रम की प्रस्तावना
(च) विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी कार्यक्रम का स्थगन
(छ) परीक्षाओं के संचालन पर विनियमावली में संशोधन
(ज) पर्यटन एवं सेवा उद्योग में डिप्लोमा का स्थगन

ई.स 23.5.2: भवन निर्माण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त

I. भवन निर्माण समिति की दिनांक 18 मई 2015 को आयोजित 7वीं बैठक के कार्यवृत्त
II. भवन निर्माण समिति की दिनांक 8 सितंबर 2015 को आयोजित 8वीं बैठक के कार्यवृत्त (टेबल मद)

परिषद ने भवन निर्माण समिति की दिनांक 18 मई 2015 एवं 8 सितंबर 2015 को आयोजित क्रमश: 7वीं एवं 8वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा इनका अनुमोदन किया । परिषद ने भवन निर्माण समिति की टाटा कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की

यांग्यांग स्थित कैंपस भवन निर्माण परियोजना में निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधक सलाहकार (पी एम सी) के रूप में 1.81% के उद्धृत दर पर चयन में की गई अनुशंसाओं का विशेष अनुमोदन किया । परिषद ने संपूर्ण मास्टर प्लान हेतू डीपीआर तथा पर्यावरणिक निकासी एवं आईआईटी गुवाहाटी की संलग्नता के उद्देश्य से डीपीआर का भी अनुमोदन किया, जो की संरचनात्मक डिजाइन एवं ड्राइंग की प्रुफ चेकिंग के लिए था ।

ई.स 23.5.3: वित्त समिति की दिनांक 12 अक्टूबर 2015 को आयोजित 13वं बैठक के कार्यवृत्त (टेबल मद)

परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 12 अक्टूबर 2015 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा निम्नलिखित का अनुमोदन किया:

i. वार्षिक लेखांए 2014-15 एवं इसका एस ए आर
ii. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2014-15
iii. यांग्यांग स्थित कैंपस निर्माण हेतु निधि उपलब्धता

भाग -6

प्राधिकारियों /समितियों के कार्यवृत्त

ई.स 23.6.1: प्रो0 इम्तियाज गुलाम अहमद की सांविधि 19(1) के अंतर्गत प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति

उपकुलपति ने प्रोफेसर इम्तियाज गुलाम अहमद के संक्षिप्त सी वीको प्रस्तुत किया, जो कि वर्तमान में कलकत्ता विश्वविद्यालय में फैकल्टी इन लॉ में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, तथा इनकी सिक्किम विश्वविद्यालय के विधि विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की जानी है ।
परिषद ने प्रोफेसर इम्तियाज गुलाम अहमद की विश्वविद्यालय में विधि विभाग में सांविधि 19 (1)के अंतर्गत प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया ।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई

ह0/-	ह0/-
(टी.के.कॉल)	**(प्रो.टी.ब सुब्बा)**
रजिस्ट्रार	**उपकुलपति**
सचिव	**अध्यक्ष**